भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं :.2844
उत्तर देने की तारीख :10.03 2026.

वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम

2844. श्री बृजमोहन अग्रवाल:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में देश में 'वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम' (आईपीएसआरसी) के अंतर्गत संचालित वृद्धाश्रमों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने छत्तीसगढ़ में ऐसे किन्हीं "सुविधा से वंचित जिलों" की पहचान की है जहां वर्तमान में कोई सरकारी सहायता प्राप्त वृद्धाश्रम मौजूद नहीं है और यदि हां, तो उक्त कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान मिशन चक्र के अंतर्गत भारत और छत्तीसगढ़ में अल्जाइमर रोग और डिमेंशिया (स्मृति लोप) से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्थापित विशेष इकाइयों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार भारत के दूरदराज के क्षेत्रों में बुजुर्गों को देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने हेतु "प्रत्यक्ष लाभ" या "सार्वजनिक-निजी भागीदारी" मॉडल की ओर बढ़ने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में वरिष्ठ नागरिकों की निरंतर बढ़ती संख्या के कल्याण के लिए विभिन्न पहलों और योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) के एक घटक, एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी) के अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा कुल

705 वरिष्ठ नागरिक गृहों को सहायता प्रदान की जा रही है। इन वरिष्ठ नागरिक गृहों की राज्य-वार सूची **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

(ख): एवीवाईएवाई योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, ऐसा जिला जहां राज्य सरकार द्वारा किए गए जिला-वार सर्वेक्षण के अनुसार कोई वरिष्ठ नागरिक गृह नहीं है, को गैप जिला कहा जाता है। वर्तमान में, छत्तीसगढ़ राज्य में 30 गैप जिले हैं। वर्तमान में, छत्तीसगढ़ में आईपीएसआरसी के तहत तीन वरिष्ठ नागरिक गृहों को सहायता प्रदान की जा रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए, यह विभाग वरिष्ठ नागरिक गृहों के चयन के लिए पूरे वर्ष ई-अनुदान पोर्टल के माध्यम से इन कमी वाले जिलों में वरिष्ठ नागरिक गृहों की परियोजनाओं को चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) से आवेदन आमंत्रित करता है।

(ग): आईपीएसआरसी के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को उन वरिष्ठ नागरिकों, जो गंभीर रूप से बीमार हैं और जिन्हें सतत् परिचर्या और राहत की आवश्यकता है अथवा जो अल्जाइमर रोग/डिमेंशिया से पीड़ित हैं, के लिए सतत देखभाल गृहों (सीसीएच) के संचालन और मेन्टेनेंस के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। देश में कुल 13 सतत देखभाल गृह (सीसीएच) हैं जिन्हें आईपीएसआरसी के तहत सहायता प्रदान की जा रही है। वर्तमान में, छत्तीसगढ़ राज्य में आईपीएसआरसी के अंतर्गत किसी भी सतत देखभाल गृह को सहायता नहीं दी जा रही है।

(घ): वर्तमान में विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग देश भर में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए **अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई)** नामक एक व्यापक योजना कार्यान्वित कर रहा है। योजना का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

इसके अलावा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वृद्धजनों की स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए 2010-11 में "वृद्धजनों की स्वास्थ्य देखभाल संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम" (एनपीएचसीई) भी शुरू किया था। एनपीसीएचई का विवरण **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) कार्यान्वित करता है, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले समाज के सबसे कमजोर व्यक्तियों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है, चाहे लाभार्थियों की श्रेणी कुछ भी हो। एनएसएपी का विवरण **अनुलग्नक-IV** में दिया गया है।

अनुलग्नक-I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2844 जिसका उत्तर दिनांक 10.03.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) में संदर्भित अनुलग्नक

(i) एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक गृहों और सतत देखभाल गृहों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	वरिष्ठ नागरिक गृह की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	90
2	अरुणाचल प्रदेश	4
3	असम	40
4	बिहार	8
5	छत्तीसगढ़	3
6	दिल्ली	2
7	गोवा	1
8	गुजरात	5
9	हरियाणा	14
10	हिमाचल प्रदेश	5
11	जम्मू-कश्मीर	13
12	झारखंड	15
13	कर्नाटक	42
14	केरल	8
15	मध्य प्रदेश	32
16	महाराष्ट्र	72
17	मणिपुर	41
18	मेघालय	2
19	मिजोरम	1
20	नागालैंड	12
21	ओडिशा	86
22	पुडुचेरी	2
23	राजस्थान	23
24	तमिलनाडु	75
25	तेलंगाना	22
26	त्रिपुरा	4
27	उत्तर प्रदेश	49
28	उत्तराखंड	4
29	पश्चिम बंगाल	30
30	**कुल योग**	705

अनुलग्नक-II

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2844 जिसका उत्तर दिनांक 10.03.2026 को दिया जाना है, के भाग (ङ) में संदर्भित अनुलग्नक

एवीवाईएवाई योजना के तहत घटकों का विवरण इस प्रकार है-

i. **आईपीएसआरसी (एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम)** - आईपीएसआरसी के तहत, वरिष्ठ नागरिक गृहों, सतत देखभाल गृहों, मोबाइल मेडिकेयर इकाइयों और फिजियोथेरेपी क्लीनिकों के रखरखाव के लिए संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों, विशेष रूप से निर्धन वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करते हुए तथा उपयोगी और सक्रिय वृद्धावस्था को प्रोत्साहित करते हुए उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।

ii. **एसएपीएसआरसी (वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना)** - भारत सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण में सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की एक प्रमुख और महत्वपूर्ण भूमिका मानती है। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजना बनाएं और अपने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अपनी स्वयं की राज्य कार्य योजनाएं तैयार करें। एसएपीएसआरसी के तहत, यह मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निधियां जारी करता है। एसएपीएसआरसी को वित्त वर्ष 2019-20 से लागू किया जा रहा है।

iii. **आरवीवाई (राष्ट्रीय वयोश्री योजना)** - इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के ऐसे वरिष्ठ नागरिकों और जिनकी पारिवारिक आय 15,000/- रुपये प्रति माह से अधिक नहीं है के लिए शारीरिक सहायता उपकरण और जीवन सहायक यंत्र प्रदान करना है। यह योजना 2017 से लागू की जा रही है।

iv. **एल्डरलाइन-** वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन (14567) केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा निष्पादित किए जा रहे विभिन्न अधिनियम, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करता है और देश भर में वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए मंच प्रदान करता है।

v. **वृद्धावस्था की देखभाल करने वालों का प्रशिक्षण-** इसका मुख्य उद्देश्य वृद्धावस्था की देखभाल करने वालों के क्षेत्र में आपूर्ति और बढ़ती मांग के अंतर को पाटना है ताकि वरिष्ठ नागरिकों को अधिक प्रोफेशनल सेवाएं प्रदान की जा सकें और वृद्धावस्था के क्षेत्र में प्रोफेशनल तरीके से देखभाल करने वालों का एक कैडर भी बनाया जा सके। वृद्धावस्था की देखभाल करने वालों की भारी कमी और बाजार में बढ़ती उनकी मांग

को ध्यान में रखते हुए, विभाग ने इस मांग को पूरा करने के लिए वृद्धावस्था सेवा प्रदाता के क्षेत्र में 1,00,000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है।

vi. **वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्य पहल-** वृद्धावस्था को स्वाथ्यकर और उपयोगी बनाने के लिए देश भर में कई पहलें की जा रही हैं। प्रस्तावित पहलों का उद्देश्य ज्ञानवर्धन के क्षेत्र में वृद्धजनों को शामिल करना है जो समग्र रूप से समाज के लिए उपयोगी हो सकता है।

vii. **सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन (सेज)** - इसका मुख्य उद्देश्य आमतौर पर सामने आ रही समस्याओं के लिए असाधारण और अभिनव समाधानों को बढ़ावा देना है। इसके लिए अभिनव स्टार्ट-अप की पहचान की जाती है और उन्हें वृद्धजनों के कल्याण के लिए उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2844 जिसका उत्तर दिनांक 10.03.2026 को दिया जाना है, के भाग (ड़) में संदर्भित अनुलग्नक

एनपीएचसीई सरकार की अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं की अभिव्यक्ति है, जैसा कि दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी), 1999 में भारत सरकार द्वारा अपनाई गई वृद्धजनों पर राष्ट्रीय नीति (एनपीओपी) और "माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम", 2007 की धारा 20 के तहत परिकल्पित है। एनपीएचसीई का उद्देश्य वृद्धजनों को सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली दीर्घकालिक, व्यापक और समर्पित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है।

कार्यक्रम के घटक:

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) घटक: जिला अस्पतालों (डीएच), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी), उप-केंद्र/स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों के माध्यम से प्राथमिक-द्वितीयक देखभाल सेवा वितरण।
2. तृतीयक घटक (राष्ट्रीय वरिष्ठ जन स्वास्थ्य योजना) ये सेवाएं 17 मेडिकल कॉलेजों और दो नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग (एनसीए) में स्थित क्षेत्रीय जराचिकित्सा केंद्रों (आरजीसी) के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं, जो एक एम्स, अंसारी नगर, नई दिल्ली में और दूसरी मद्रास मेडिकल कॉलेज, चेन्नई में है।
3. अनुसंधान: भारत में एक अधोमुखी वृद्धावस्था अध्ययन (एलएएसआई) परियोजना: - एलएएसआई भारत में वृद्ध व्यक्तियों का एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि सर्वेक्षण है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आईआईपीएस), मुंबई के माध्यम से किया जा रहा है।

सेवाओं का पैकेज: वृद्धावस्था स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के प्रावधान के लिए कार्यक्रम के दो घटक हैं: जिला/उप-जिला स्तर का घटक और तृतीयक स्तर का घटक। दोनों स्तरों पर वृद्धजनों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं का पैकेज नीचे दिया गया है।

उप केंद्र:

क. स्वस्थ वृद्धावस्था, पर्यावरण संशोधन, पोषण संबंधी आवश्यकताओं, जीवन शैली और व्यवहार में परिवर्तन से संबंधित **स्वास्थ्य शिक्षा।**

ख. **घर में सीमित/बिस्तर पर पड़े वृद्धजनों पर विशेष ध्यान देना** और दिव्यांग वृद्धजनों की देखभाल करने के लिए परिवार स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान करना।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र: एक प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी (एमओ) द्वारा **साप्ताहिक जराचिकित्सा क्लिनिक।** सेवाओं में शामिल होंगे: वृद्धजनों का **स्वास्थ्य मूल्यांकन** करना और बल्डशुगर सहित सरल जांच करना, आदि।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

क. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रशिक्षित स्टाफ और पुनर्वास कार्यकर्ता द्वारा **सप्ताह में दो बार जराचिकित्सा क्लिनिक और पुनर्वास सेवाओं** की व्यवस्था की जाएगी।

ख. **शय्याग्रस्त** वृद्धजनों के लिए पुनर्वास कार्यकर्ता द्वारा घर का दौरा किया जाएगा और ऐसे रोगियों की देखभाल के लिए परिवार के सदस्यों को परामर्श दिया जाएगा।

जिला अस्पताल:

क. समर्पित वृद्धावस्था ओपीडी सेवाएं, 10 बिस्तरों वाले वृद्धावस्था वार्ड के माध्यम से इन-डोर दाखिला, प्रयोगशाला जांच और पुनर्वास सेवाएं।

ख. सीएचसी/पीएचसी आदि द्वारा रेफर किए गए वृद्ध रोगियों के लिए सेवाएं प्रदान करना और गंभीर मामलों को तृतीयक स्तर के अस्पतालों में रेफर करना।

तृतीयक स्तर

(क) क्षेत्रीय वृद्धावस्था केंद्र:

क. मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों और नीचे से रेफर किए गए **जटिल/गंभीर वृद्धावस्था मामलों के लिए तृतीयक स्तर की सेवाएं** प्रदान करना।

ख. **जेरियाट्रिक मेडिसिन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम** संचालित करना। प्रत्येक आरजीसी हर वर्ष 2 स्नातकोत्तर (एमडी जराचिकित्सा) तैयार करेगा।

ग. चिन्हित जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के प्रशिक्षकों को **प्रशिक्षण** प्रदान करना

घ. प्रशिक्षण मॉड्यूल, दिशानिर्देश और **आईईसी सामग्री** तैयार करना/और अद्यतन करना।

ङ. विशिष्ट वृद्धजन रोगों पर **शोध।**

(ख) नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग

क. चिकित्सा और शल्य चिकित्सा विषयों से जुड़े **बहु-विषयक नैदानिक सेवाओं** के साथ उच्च स्तरीय तृतीयक देखभाल।

ख. विभिन्न नैदानिक विषयों में **विशेष ओपीडी देखभाल।** मेमोरी क्लिनिक, फॉल एंड सिंकोप क्लिनिक, कमजोर वृद्धजन क्लिनिक, सहायता और उपकरण क्लिनिक, प्रत्यारोपण और कॉस्मेटिक क्लिनिक जैसे विशेष क्लीनिक।

ग. **डे केयर सेंटर:** जांच, पुनर्वास, राहत देखभाल, मनोभ्रंश देखभाल, सतत देखभाल के लिए

घ. **भर्ती रोगी की देखभाल के लिए:** गहन देखभाल, एक्यूट पुनर्वास, नैदानिक और चिकित्सीय सेवाएं, दीर्घकालिक पुनर्वास सेवा।

ङ. **वृद्धावस्था चिकित्सा की सभी उप-विशिष्टताओं में मानव संसाधन विकास**

च. देश में प्रचलित वृद्धावस्था रोगों के लिए साक्ष्य आधारित उपचार प्रोटोकॉल तैयार करना।

अनुलग्नक-IV

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2844 जिसका उत्तर दिनांक 10.03.2026 को दिया जाना है, के भाग (ङ) में संदर्भित अनुलग्नक

एनएसएपी कार्यक्रम के तहत, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) से संबंधित वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगजनों और एनएसएपी दिशानिर्देशों में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वालों के लिए, पेंशन के रूप में 200/- रुपये से 500/- रुपये प्रति माह तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और ऐसे परिवार के कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु के मामले में, शोक संतप्त परिवार को 20,000/- रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत एक घटक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है जिसके अंतर्गत 60-79 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों को 200/- रुपये प्रति माह की सहायता प्रदान की जाती है और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 500/- रुपये प्रति माह की सहायता प्रदान की जाती है।

*****